अदालत के आदेश पर गोवा के चार केसीनो संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

गोवा में केसीनो खोलने का झांसा देकर ठेकेदार से दो करोड़ हड़पे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोवा में केसीनो और रेस्टोरेंट खुलवाकर कारोबार में मोटा मुनाफा देने का लालच देकर शातिर ठगों ने एक ठेकेदार से लगभग दो करोड़ रुपये हड़प लिए। आरोपी गोवा में केसीनो चलाते हैं। रुपये लेने के बाद भी जब केसीनो और रेस्टोरेंट शुरू नहीं हुआ तो ठेकेदार ने रुपये वापस मांगे। इस पर उन लोगों ने टालमटोल करना शुरू किया, तो ठेकेदार ने मामले में अदालत की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर निशातपुरा थाना पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

निशातपुरा थाने के एएसआई अवतारसिंह ने बताया कि अयोध्याबायपास स्थित गिरनार वैली निवासी सचिन शर्मा सिविल ठेकेदार हैं। वर्ष 2023 में वह गोवा घूमने गए थे। उस दौरान उनकी पहचान वहां के मशहूर मैजेस्टिक केसीनो के संचालकों से हुई थी। उन लोगों ने उन्हें उत्तरी गोवा के पोरवोरिम में नया केसीनो और रेस्टोरेंट शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इसमें निवेश करने पर कारोबार में हिस्सेदारी देने का भरोसा दिलाया गया। इस प्रस्ताव पर भरोसा कर सचिन ने जून 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच आरोपियों को कुल एक करोड़ 92 लाख 56 हजार रुपये दिए। इसमें 20 लाख रुपये नकद भोपाल में निशातपुरा क्षेत्र स्थित बेस्ट प्राइज के पास दिए गए, जबकि शेष राशि बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर की गई। आरोप है कि इतनी बड़ी राशि लेने के बाद आरोपियों ने न तो पोरवोरिम में प्रस्तावित कारोबार शुरू किया और न ही उन्हें फर्म में हिस्सेदार बनाया। मांगने पर रकम लौटाने से भी इनकार कर दिया। ठगी का अहसास होने पर सचिन शर्मा ने वर्ष 2024 में भोपाल की अदालत में इस्तगासा दायर किया था। करीब दो साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद निशातपुरा पुलिस ने श्रीनिवास पांडुरंग, मंजुल अराजो, बलदेव और अमित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित गोवा में मैजेस्टिक केसीनो का संचालन करते हैं। पुलिस की टीम अब गोवा रवाना होकर आगे की कार्रवाई करेगी।

क्रेडिट कार्ड केवाईसी कराने के नाम पर स्क्रीन

- शेयर कराई और खाते से उड़ा लिए 2.82 लाख
- आईसीआईसीआई बैंक का अधिकारी बनकर किया था फोन

साइबर जालसाजों ने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड और केवाईसी कराने का झांसा देकर साकेत नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से करीब दो लाख 82 हजार 622 रुपये की धोखाधड़ी कर ली। उन्होंने खुद को बैंक का अधिकारी बताकर फोन किया और वीडियो केवाईसी कराने के बहाने स्क्रीन शेयर कराई। इसी दौरान उसके क्रेडिट कार्ड से तीन अनाधिकृत ट्रांजेक्शन कर दिए गए।

बागसेवनिया थाना पुलिस के अनुसार, साकेत नगर निवासी 46 वर्षीय शशांक दीवान ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया कि 13 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड अपग्रेड और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। इसके बाद फोनकर्ता ने उनसे आवश्यक दस्तावेज मांगे और गूगल मीट के माध्यम से वीडियो केवाईसी कराई। इस दौरान शशांक से मोबाइल की स्क्रीन शेयर कराई गई। इस प्रक्रिया के दौरान ही उनके क्रेडिट कार्ड से अलग-अलग राशि के तीन ट्रांजेक्शन हो गए। मोबाइल पर ट्रांजेक्शन के मैसेज आने पर उन्हें धोखाधड़ी का संदेह हुआ। जांच करने पर पता चला कि उनकी जानकारी और अनुमति के बिना क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल ली गई है।

शिकायत के मुताबिक पहला ट्रांजेक्शन 1 लाख 93 हजार रुपये, दूसरा 49 हजार 222 रुपये और तीसरा 40 हजार 400 रुपये का किया गया। इस तरह कुल 2 लाख 82 हजार 622 रुपए की धोखाधड़ी हुई। घटना का पता चलते ही उन्होंने बैंक से संपर्क कर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराया और अनाधिकृत ट्रांजेक्शन की शिकायत की। इस मामले में थाना साइबर एवं हाईटेक अपराध से जीरो एफआईआर ऑनलाइन सीसीटीएनएस के माध्यम से बागसेवनिया थाने भेजी गई थी। पुलिस ने शिकायत में बताए गए दो मोबाइल नंबरों के धारकों के खिलाफ धारा 318(4) और 319(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बस में सफर कर रहे कर्नाटक के इंजीनियर से सवा दो करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद

- दिल्ली से नागपुर जा रही थी बस
- पानी की बोतल में छिपाकर रखा था मादक पदार्थ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोविंदपुरा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश के लिए आईएसबीटी से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की बसों की चैकिंग का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने शनिवार सुबह दिल्ली से नागपुर जा रही बस में सफर कर रहे कर्नाटक निवासी इंजीनियर से 970 ग्राम एमडी (मेथामफेटामिन) ड्रग्स बरामद की है। पानी की बोतल में छिपाकर रखे इस मादक पदार्थ की कीमत सवा दो करोड़ बताई जा रही है। आरोपी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है।

सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा अदिति भावसार ने बताया कि शनिवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली से नागपुर जा रही बस में एक युवक एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर जा रहा है। इस आधार पर चेतक ब्रिज तिराहा के पास गोविंदपुरा टर्निंग पर चैकिंग पाइंट लगा दिया गया। वहां से गुजरने वाली सभी बसों में संदेह के आधार पर मुसाफिरों एवं उनके सामान की जांच की जाने लगी। इसी क्रम में सुबह लगभग आठ बजे दिल्ली से नागपुर जा रही बस को रोका गया। तलाशी के दौरान एक युवक की गतिविधि कुछ संदिग्ध लगने पर उसके सामान की सूक्ष्मता से तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास रखी मिल्टन कंपनी की पानी की बोतल का वजन कुछ अधिक प्रतीत हुआ। उसके अंदर देखने पर संदिग्ध मादक पदार्थ की शंका होने पर युवक को हिरासत में लिया गया। साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। जांच के दौरान संदिग्ध पदार्थ के एमडी ड्रग्स होने की पुष्टि हो गई। आरोपी की पहचान कर्नाटक निवासी 28 वर्षीय विशाख एएन के रूप में हुई। वह दिल्ली से नागपुर तक जा रहा था। वहां से उसे बेंगलुरू जाना था। वह पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है।

नौ दिन पहले भी बस में यात्री से मिली थी एक किलो चरसः बता दें कि चार नवंबर को भी चैकिंग के दौरान गोविंदपुरा पुलिस ने दिल्ली से हैदराबाद जा रही बस से चैकिंग के दौरान एक युवक से एक किलो चरस बरामद की थी। आरोपी की पहचान केरल निवासी 27 वर्षीय सिजान के रूप में हुई थी। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 30 लाख रुपये बताई गई थी।

मेट्रो ब्रिज के पास युवक-युवती कर रहे थे ग्राहक का इंतजार, एमडी ड्रग्स के साथ हुए गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की नशे के सौदागरों के खिलाफ धरपकड़ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में एमपी नगर जोन-एक में मेट्रो ब्रिज के पास से पुलिस ने युवक-युवती को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उनके पास से 3.24 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। दोनों मैदान में स्कूटी पर बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तभी सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अब उनका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। इसके लिए दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से पता चला था कि मेट्रो ब्रिज के पास एक युवक और युवती स्कूटी पर बैठकर एमडी ड्रग्स बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बताए गए हुलिए के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उनकी पहचान 24 वर्षीय अरबाज उर्फ इक्का और ओल्ड सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड निवासी 34 वर्षीय करीना उर्फ नीलू माधवानी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अरबाज के पास से 3.24 ग्राम एमडी मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनके जरिए ड्रग्स के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अरबाज के खिलाफ ऐशबाग थाने में मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में चार मामले दर्ज हैं।

भगवान श्री सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव पर आज निकलेगी भव्य वाहन शोभायात्रा



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भगवान श्री सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव पर रविवार, 15 नवंबर को भोपाल में भव्य वाहन शोभायात्रा निकाली जाएगी। भेल दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आयोजन के मुख्य संयोजक एवं कल्चुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एल. एन. मालवीया ने बताया कि तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शोभायात्रा में 5 हजार से अधिक समाजबंधुओं, 1500 चारपहिया और 2 हजार दोपहिया वाहनों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन में दादा गुरुजी महाराज सहित आठ संतों का सान्निध्य मिलेगा। वहीं मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विधायक भगवानदास सबनानी और सांसद आलोक शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। दशहरा मैदान से शोभायात्रा रवाना होकर शाम करीब 6:30 बजे कल्चुरी भवन पहुंचेगी। दोनों स्थलों पर भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी।

फर्जी परिचय पत्र से युवती को ले गया था होटल, मारपीट कर पुलिस को सौंपा

इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो हुआ वायरल, ईंटखेड़ी का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः फर्जी नाम से परिचय पत्र बनाकर होटल में युवती को ले जाना एक युवक को महंगा साबित हुआ। घटना की भनक लगते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक-युवती को पकड़ लिया। युवती से पूछताछ करने के बाद युवक के साथ पहले जमकर मारपीट की।

उसके बाद उसे ईंटखेड़ी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले का वीडियो शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पर धरपकड़ करते और युवक के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं।

ईंटखेड़ी थाने के एसआई केएल सुनहरे ने बताया कि 11 नवंबर को शाम के समय एक युवक अपने साथ एक युवती को लेकर होटल हिमतारा पहुंचा था। वहां उसने एक कमरा बुक करवाया था। कुछ देर बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पर पहुंचे और होटल प्रबंधन से कमरा खुलवाया। युवक-युवती ने वहां से भागने की असफल कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया।

युवती से पूछताछ में पता चला कि वह हिंदू समाज की है, जबकि साथ गए सलमान नाम के युवक ने युवती का मुस्लिम नाम बताते हुए परिचय पत्र होटल में जमा किया था। इस बात की तस्दीक होते ही कार्यकर्ताओं ने सलमान के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सलमान द्वारा होटल का कमरा बुक कराने में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जब्त कर उसके खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाने और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

खेत में सिंचाई करने गए किसान की करंट से मौत

नप्र, भोपाल : नजीराबाद थाना इलाके के एक गांव में रात के समय खेत में सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना का पता तब चला, जब उसके परिवार के लोग खेत पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। नजीराबाद थाना पुलिस के मुताबिक ग्राम खेड़ली निवासी 40 वर्षीय परसराम पुत्र पन्नालाल किसानी करता था। गुरुवार रात को वह अपने खेत में पानी फेरने गया था। रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह वह घर वापस नहीं लौटा, तो परिवार के लोग उसे देखने खेत पर पहुंचे। वहां परसराम बिजली के तार के पास बेसुध पड़ा हुआ था। वे लोग उसे लेकर बैरसिया के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां चैक करने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि खेत में पड़े तार में कट लगा हुआ था। मोटर चलने के दौरान परसराम का पैर तार के उसे स्थान का छू गया होगा। जिसके चलते वह हादसे का शिकार बन गया।

दो महिलाओं सहित चार लोगों के पास से साढ़े आठ किलो गांजा बरामद

भोपाल। दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से साढ़े आठ किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस उनके नेटवर्क के बारे में सघन पूछताछ कर रही है। गौतम नगर थाना पुलिस के मुताबिक गुरुवार को अटल अय्यूब नगर कैबिन के पास दबिश देकर छोला रोड, कबाड़खाना निवासी 35 वर्षीय कैलाश उर्फ राजेश कुशवाहा उर्फ बड़े को हिरासत में लिया था। तलाशी में उसके पास से चार किलो 104 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कैलाश उर्फ बड़े थाना हनुमानगंज का निगरानीशुदा बदमाश है। उसके खिलाफ पहले से 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी थाना क्षेत्र में नारियलखेड़ा में माता के मंदिर के पास से 28 वर्षीय पूजा राठौर और 26 वर्षीय सपना बंशकार को गिरफ्तार कर उनके पास से चार किलो 165 ग्राम गांजा जब्त किया गया।

वन विभाग के एसडीओ संजीव शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा

- आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर भोपाल में कार्रवाई
- दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही टीम



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर लोकायुक्त भोपाल की टीम ने शनिवार सुबह वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। संजीव शर्मा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी में एसडीओ फॉरेस्ट के पद पर पदस्थ हैं।

लोकायुक्त की टीम शिकायत और उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई कर रही है। छापे के दौरान अधिकारियों ने भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर दस्तावेजों और संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। इसके अलावा संजीव शर्मा से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है।

संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच जारी

कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम चल-अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के साथ अन्य वित्तीय जानकारियां भी खंगाल रही है। अब तक कितनी संपत्ति मिली है, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, सभी ठिकानों पर तलाशी और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही संपत्ति का विस्तृत ब्योरा सामने आएगा।

डेंगू के 206 और मलेरिया के 13 मरीज मिले

नप्र, भोपाल : राजधानी में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। वर्ष 2026 में अब तक जिले में डेंगू के 206 और मलेरिया के 13 मरीज मिल चुके हैं। सितंबर से अब तक 89 हजार 702 घरों के सर्वे में 4208 घरों में मच्छरों का लार्वा पाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 6 लाख 38 हजार 591 जल पात्रों की जांच की गई, जिनमें 5023 में लार्वा मिला। टीमों ने मौके पर ही लार्वा नष्ट किया। घर-घर सर्वे के साथ फॉगिंग और दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जनवरी से अक्टूबर तक मलेरिया जांच के लिए 2 लाख 32 हजार 821 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 2 लाख 21 हजार 480 जांचें की जा चुकी हैं। इस दौरान 13 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई।



कार्यालय संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, गोमतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक- ए/50 मण्डल द्वारा (1) श्रीमती गजाला खान पत्नी श्री मोहम्मद नौमान खान (2) श्री मुईन मोहम्मद खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान (3) श्री तनवीर मोहम्मद खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान (4) श्री मोहम्मद अमीन खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान के नामों से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 16/10/2020 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 26/11/2018 को पंजीकृत है। (1) श्रीमती गजाला खान पत्नी श्री मोहम्मद नौमान खान (2) श्री मुईन मोहम्मद खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान (3) श्री तनवीर मोहम्मद खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान (4) श्री मोहम्मद अमीन खान आत्मज श्री मतीन मोहम्मद खान द्वारा मुख्तार आम दिनांक 09/09/2016 को श्री मतीन मोहम्मद खान आत्मज श्री मुजफ्फर मोहम्मद खान के पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति इंडियन रियल्टी एण्ड कन्स्ट्रेक्शन सर्विसेस द्वारा प्रोपराईटर मोहम्मद ताहिर आत्मज श्री सैय्यद हफीज उल हसन को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 10/07/2026 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति इंडियन रियल्टी एण्ड कन्स्ट्रक्शन सर्विसेस द्वारा प्रोपराईटर मोहम्मद ताहिर आत्मज श्री सैय्यद हफीज उल हसन के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-1, भोपाल

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO)
(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
9वीं मंजिल, 'बी' विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110 001
फोन: 011-23717249/23355408/23322192,
वेबसाइट: www.cgewho.in, ईमेल: cgewho@nic.in

वडोदरा, गुजरात में प्रस्तावित आवास योजना के लिए मांग सर्वेक्षण (डिमांड सर्वे)

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) 1990 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 'बिना लाभ-बिना हानि' के आधार पर सामूहिक आवास परियोजनाएं विकसित कर रहा है। CGEWHO ने पूरे भारत के विभिन्न शहरों में 34 परियोजनाएं (17,796 आवासीय इकाइयां) सफलतापूर्वक पूरी की हैं।

CGEWHO वडोदरा, गुजरात में एक प्रस्तावित आवास परियोजना के लिए मांग सर्वेक्षण (डिमांड सर्वे) आयोजित कर रहा है।

मुख्य विवरण:
- **स्थान:** भायली-I (Bhayli-I), स्प्रिंग व्यू रेजीडेंसी के पास, वडोदरा, गुजरात।
- **स्थान के लाभ:** द एम्परर मॉल, एसएआरवी (SARV) मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, भायली रेलवे स्टेशन और विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के 1-4 किमी के दायरे में अत्यंत निकट। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन 7-9 किमी, सेंट्रल बस स्टैंड वडोदरा 7-8 किमी और वडोदरा हवाई अड्डा हरनी 13-15 किमी दूर है।
- **परियोजना का आकार:** लगभग 1.76 एकड़ भूमि क्षेत्र में 3 बीएचके (3 BHK) की लगभग 150 आवासीय इकाइयां, जिनका सुपर बिल्टअप एरिया (SBA) लगभग 1600 वर्ग फुट है।
- **पात्रता:** यह सर्वेक्षण लागू नियमों के अधीन केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए खुला है।

आवेदन कैसे करें:
- ऑफ़लाइन मांग सर्वेक्षण (डिमांड सर्वे) में भाग लेने के लिए CGEWHO की वेबसाइट www.cgewho.in पर जाएं।
- फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 31/12/2026
- CGEWHO के नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर मांग सर्वेक्षण के प्रतिभागियों के लिए 50% फ्लैट आरक्षित रहेंगे।

पूछताछ के लिए:
राजेश कटोच, पी.एस. - (मो.) 7065044984
रोशन किशोर, उप निदेशक - (मो.) 9560022232

मांग सर्वेक्षण लिंक:
आवेदन पत्र के लिए QR कोड स्कैन करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह शहर में संभावित रुचि का आकलन करने के लिए केवल एक मांग सर्वेक्षण है। यह बिक्री का प्रस्ताव/प्रतिबद्धता या खरीद के लिए आमंत्रण नहीं है। यह परियोजना अभी तक संबंधित राज्य रेरा (RERA) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CGEWHO

CBC 20105/11/0011/2627